

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेडा

बनाम

अप्रार्थी - राधादेवी व/ नाहराद निवासी कालेडा अन्तर्गत धारा 91 भूराज्य अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 67 / 2018

निर्णय दिनांक 16.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेडा ने अप्रार्थी के विरुद्ध पी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद कालेडा के खसरा नम्बर 99 में किरम मे.बु. राहा मेंसे रकबा 0.02 हेक्ट. भूमि में जाजरी डोड लगाकर अतिक्रमण किया गया। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत उजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी राधादेवी से नोटिस तामी होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री 1 ने दिनांक 1 को उपरि उक्त होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की जांच का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कालेडा खसरा नम्बर 99 में किरम मे.बु. राहा मेंसे रकबा 0.02 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाया गया।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश प्रारित किया जाता है। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.02 हेक्ट. भूमि के 0.12 रुपये लगान का 50 गुणा 6 / - अक्षरे रु रुपये बतौर जुर्माना प्रारित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्थ लेखाकार व पटवारी हल्का को आदेश सहित 16.10.18 तक वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर